



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 फाल्गुन 1947 (श10)
(सं० पटना 274) पटना, शुक्रवार, 13 मार्च 2026

कृषि विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2026

सं० 02/बी०निरी०-22/2026-1796/कृ.—बीज अधिनियम 1966 की धारा 13 (1) एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की कंडिका 12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यक्षेत्र के लिए बीज निरीक्षक नियुक्त करते हुए बीज अधिनियम 1966 की धारा-14 एवं 15 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की कंडिका-13 में अंकित सभी शक्तिया प्रदत्त की जाती है।

क्र०	सम्परिवर्तित पदनाम	कार्यक्षेत्र
1	2	3
1	कृषि निदेशक	सम्पूर्ण बिहार के लिए
2	संयुक्त निदेशक (शष्य), उपादान	सम्पूर्ण बिहार के लिए
3	उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय	सम्पूर्ण बिहार के लिए
4	उप निदेशक (शष्य) बीज उत्पादन	सम्पूर्ण बिहार के लिए
5	उप निदेशक (शष्य) दलहन एवं तेलहन	सम्पूर्ण बिहार के लिए
6	उप निदेशक (शष्य) खाद्य एवं अन्य फसल	सम्पूर्ण बिहार के लिए
7	उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण	सम्पूर्ण बिहार के लिए
8	उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण	सम्पूर्ण बिहार के लिए
9	सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) प्रमंडलीय	अपने कार्यक्षेत्र के लिए
10	सभी जिला कृषि पदाधिकारी	अपने कार्यक्षेत्र के लिए

क्र०	सम्परिवर्तित पदनाम	कार्यक्षेत्र
1	2	3
11	सभी जिला उद्यान पदाधिकारी (कृषि स्नातक)	अपने कार्यक्षेत्र के लिए
12	सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी	अपने कार्यक्षेत्र के लिए
13	सहायक निदेशक (शष्प) बीज निरीक्षण	सम्पूर्ण बिहार के लिए
14	अवर कृषि पदाधिकारी (बीज निरीक्षण)	अपने कार्यक्षेत्र के लिए

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनुज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 274-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>